न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4989/1998/जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

....प्रार्थी

बनाम

श्री पदम सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर।

....अप्रार्थी

2. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4378/1999/जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

....प्रार्थी

बनाम

1. श्री जय सिंह पुत्र श्री हजारी लाल प्रथम पोलो शिप हाउस रोड़ जोधपुर।
2. श्री शंकर लाल पुत्र श्री मूलचन्द शास्त्री नगर सेक्टर–ए जोधपुर।

....अप्रार्थीगण

3. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3420/2000/जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

....प्रार्थी

बनाम

श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह शास्त्री नगर जोधपुर।

....अप्रार्थी

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

COMPARE BY

1. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4989/1998/जोधपुर
2. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4378/1999/जोधपुर
3. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3420/2000/जोधपुर
4. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3668/2000/जोधपुर

4. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3668/2000/जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

....प्रार्थी

बनाम

1. श्री ढगलाराम पुत्र श्री हरीराम मदेरणा, कॉलोनी महामंदिर जोधपुर।
2. श्रीमती मीना गांग पत्नि श्री दिनेश गांग ठिकाना मोती चौक, जोधपुर।

....अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बजरंग लाल शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

श्री एस.के.शर्मा : उप राजकीय अधिवक्ता
श्री अजीत लोढ़ा : अधिवक्ता अप्रार्थी श्री पदम सिंह, श्री शंकर लाल, श्री हनुमान सिंह एवं श्रीमती मीना गांग

--

निर्णय

दिनांकः 28/12/2011

उपर्युक्त सभी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 9 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, जोधपुर के निर्णय दिनांक 17/1/90 प्रकरण संख्या 279/90, 269/90, 245/90 एवं 271/90) से व्यथित होकर राज्य शासन की ओर से तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं।

सत्य प्रतिलिपि
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

COMPARE BY

2. हस्तगत प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि इन प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी (कृषि भूमि रूपान्तरण), जोधपुर के समक्ष रूपान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा राजकीय भूमि पर अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर रूपान्तरण आदेश दिनांक 17/1/90 को पारित कर दिये। जिनसे व्यथित होकर राज्य शासन द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो मियाद के बिन्दु पर ही दिनांक 31/5/1990 को खारिज कर दी गई। राज्य शासन की ओर से मियाद के तकनीकी आधार पर यह प्रकरण खारिज होने के कारण उपरोक्त सभी प्रकरणों में अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 17/1/90 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता राज्य शासन का बहस में कथन है कि परीक्षण न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि रूपान्तरण के जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे वह भूमि राजकीय भूमि थी एवं आवेदित कृषि भूमि आवेदकों की खातेदारी की भूमि नहीं थी तथा न ही यह भूमि कभी उनके कब्जे में रही थी। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि होने के कारण जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा दिनांक 3/3/78 को आबादी विस्तार हेतु तत्कालीन नगर सुधार न्यास (वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण) को हस्तान्तरित कर दी गई थी तथा दिनांक 23/3/83 को नगर सुधार न्यास के पक्ष में नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो चुका था। प्रश्नगत भूमि के संबंध में नगर सुधार न्यास द्वारा रूपान्तरण नहीं करने बाबत अपनी स्पष्टतः आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने कृषि भूमि रूपान्तरण संबंधी नियमों के विपरीत जाकर विवादित रूपान्तरण आदेश पारित किये हैं, जो स्पष्टतया विधि विरुद्ध, क्षेत्राधिकार के बाहर, मनमाने एवं स्थापित न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लन्घन करते हुए पारित किये गये हैं।

5. विद्वान राजकीय अधिवकता ने तर्क दिया कि जो भूमियां राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 43 के अंतर्गत नगर सुधार न्यास में निहित हो गई थी, ऐसी भूमियों का रूपान्तरण करने हेतु परीक्षण न्यायालय सक्षम नहीं थे। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनिमय की धारा 9 के अंतर्गत सामान्य अधीक्षण की शक्तियां इस न्यायालय को प्रदत्त हैं तथा इन शक्तियों के

सत्य प्रतिलिपि
निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARE BY

1. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4989/1998/जोधपुर
2. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4378/1999/जोधपुर
3. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3420/2000/जोधपुर
4. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3668/2000/जोधपुर

अंतर्गत इस न्यायालय के अधीक्षण में कार्यरत अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा यदि स्थापित न्यायिक प्रकियाओं के उल्लंघन में विधि विरूद्ध, मनमाने एवे क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय पारित किये जाते हैं तो उनमें हस्तक्षेप करने का इस न्यायालय को इन प्रावधानों के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि इन प्रकरणों के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है तथा इस आवेदन पत्र व शपथ पत्र का कोई खंडन नहीं किया गया है अतः प्रकरणों को मियाद में मानकर गुणावगुण पर निर्णीत किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रकरणों में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रूपान्तरण, जोधपुर के द्वारा पारित आदेश एवं उनकी अनुपालना में जारी पट्टों को अपास्त करने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का बहस में कथन है कि इन प्रकरणों में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किये गये रूपान्तरण आदेश एवं उनकी पालना में जारी किये गये पट्टे पूर्णतया विधिसम्मत हैं। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशों की विधिवत तरीके से अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गई है। अतः ऐसे प्रकरणों में अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही की जानी विधि अनुकूल नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सामान्य अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा न्यायालय के रूप में निष्पादित कार्यवाही की वैधानिकता का परीक्षण इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत सभी आवेदन पत्र सारहीन एवं मियाद बाहर हैं, जिन्हें खारिज किया जावे।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं इस प्रकृति के प्रकरणों में पारित न्यायिक दृष्टान्तों का भी अध्ययन किया गया।

8. यह एक निर्विवाद स्थिति है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा इन सभी प्रकरणों में दिनांक 17/1/90 को कृषि भूमि के रूपान्तरण आदेश जारी किये गये हैं तथा इस न्यायालय में अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सभी प्रकरण 8 से 10 वर्ष बाद प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य शासन की ओर से

सत्य प्रतिलिपि

नियन्त्रक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

1. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4989/1998/जोधपुर
2. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4378/1999/जोधपुर
3. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3420/2000/जोधपुर
4. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3668/2000/जोधपुर

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि इन प्रकरणों में रूपान्तरण आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राधिकृत अधिकारी को नहीं था तथा राज्य सरकार के ध्यान में आते ही ये प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अतः व्यापक न्यायहित में इन आदेशों का विधिक परीक्षण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से मियाद एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में गंभीर आपत्ति प्रकट की गई है।

9. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम श्री वाई मोइददीन कुन्हीं (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधियों (AIR 2009 (SC) 2577) में व्यक्त अभिमत के प्रकाश में इस प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णीत करना उचित समझता है क्योंकि यहां परीक्षण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर रूपान्तरण आदेश पारित करने का बिन्दु निहित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में निम्न प्रकार अभिमत प्रकट किया है। :-

It is a matter of concern that in very serious matters action is not taken as required under law and the appeals/ petitions are filed after long lapse of time. It is a common grievance that it is so done to protect unscrupulous litigants at the cost of public interest or public exchequer. This stand is more noticeable where vast tracts of land or large sums of revenue are involved. Even though the courts are liberal in dealing with the belated presentation of appeals/ applications..... keeping in view the importance of questions of law which are involved we are inclined to condone the delay subject to payment of exemplary costs.

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में राज्य शासन की ओर से लोकहित के प्रकरणों में की जाने वाली देरी के संबंध में एक नया आयाम जोड़ते हुए यह अभिधारित किया है कि लोकहित के मामलों में केवल तकनीकी आधारों पर किसी प्रकरण को खारिज करने से भूमि हडपने वाले व्यक्तियों को अनावश्यक समर्थन मिलता हैं अतः ऐसे प्रकरणों को गुणावगुण पर निर्णीत किया जाना चाहिये। वैसे भी मियाद जैसा तकनीकी बिन्दु व्यापक जनहित के प्रकरणों का गुणावगुण पर निर्णय करने में आड़े नहीं आने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में अभिमत व्यक्त किया है। यह न्यायालय इस प्रकरण की परिस्थितियों में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशों को गुणावगुण पर निर्णीत करना उचित समझता है अतः राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत मियाद के अधिनियम के आवेदन पत्रों को एतद स्वीकार किया जाता है।

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धन
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARE BY

1. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4989/1998/जोधपुर
2. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4378/1999/जोधपुर
3. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3420/2000/जोधपुर
4. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3668/2000/जोधपुर

11. इन प्रकरणों में उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि दिनांक 3/3/78 को जिला कलेक्टर, जोधुपर द्वारा तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर दी गई थी तथा नगर सुधार न्यास द्वारा वांछित शुल्क जमा करवाने के बाद इस भूमि का कब्जा भी नगर सुधार न्यास को दिनांक 19/4/78 को संभलवा दिया गया था तथा नामान्तरकरण भी नगर सुधार न्यास के पक्ष में दिनांक 23/3/83 को स्वीकृत किया जा चुका था। नगर सुधार न्यास ने प्राधिकृत अधिकारी को तथ्यात्मक स्थिति अवगत कराते हुए प्रश्नगत भूमि का रूपान्तरण न करने बाबत आपत्ति भी प्रस्तुत की थी।

12. इस न्यायालय ने राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 43 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है। इस प्रावधान के अंतर्गत नगर सुधार न्यास क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नजूल भूमियां नगर सुधार न्यास में निहित की जायेगी तथा इस अधिनियम में नजूल भूमियों की परिभाषा में समस्त राजकीय भूमियों को सम्मिलित किया गया है। राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा इस संबंध में वांछित अधिसूचना कमांकः No. F.18(49) Rev./Col./73 दिनांक जुलाई 15, 1974 भी जारी कर दी गई है। नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 43 में निम्न प्रावधान किया गया है :–

The State Government may by notification in the official gazette and upon such terms and conditions may be agreed upon between it and the Trust, place at the disposal of the Trust all or any improved and unimproved lands in the urban area for which the Trust has been constituted and which may be vested in the State (known and hereinafter referred to as Nazul lands) for the purpose of improvement in accordance with a scheme framed and sanctioned under this Act.

13. उपरोक्त प्रावधानों के प्रभाव से नगर सुधार न्यास को आबादी विस्तार के लिये दी गई भूमि पर परीक्षण न्यायालय को भूमि रूपान्तरण कर पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं था।

14. इन प्रकरणों में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से यह भी बिन्दु उठाया गया हैं कि जिन प्रकरणों में अपील एवं पुनरीक्षण के प्रावधान हैं, उन प्रकरणों के निर्णयों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि इन प्रकरणों

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARE BY

1. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4989/1998/जोधपुर
2. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4378/1999/जोधपुर
3. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3420/2000/जोधपुर
4. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3668/2000/जोधपुर

में राज्य शासन द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील भी प्रस्तुत की गई थी जो मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गई है तथा राज्य शासन द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णयों के विरूद्ध भी इस न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। अतः इन परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह प्रकरण पोषणीय नहीं है। इस संबंध में इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है। अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान त्वरित संदर्भ हेतु यहां उद्धरित किये जा रहे हैं :-

Section -9 General Superintencdence of Subordinate Revenue Courts - Subject to other provisons of the Act, the general superintendence and control over all revenue Courts and over all revenue officers shall be versed in, and all such courts and officers shall be subordinate to the Board.

15. उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने राजाराम बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य (1995 आर.आर.डी. पृष्ठ 62) के प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्णीत किया है कि ऐसे उपयुक्त प्रकरणों में जहां अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार के बाहर हैं वहां राजस्व मंडल अधिनियम की धारा 09 के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे निर्णयों की वैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। ऐसा ही सुविचारित अभिमत इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने जमीर हसन बनाम गणपत लाल एवं अन्य में (आर.आर.डी. 1995 पृष्ठ 612) में पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने मोहम्मद युनुस बनाम मोहम्मद मुस्ताकिय एवं अन्य (ए.आई.आर. 1984 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 38) एवं सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान (1993 आर.आर.डी. पृष्ठ 598) के निर्णयों का विवेचन करते हुए स्पष्टतः यह मत प्रकट किया है कि जिन प्रकरणों में अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षण व अपील के प्रावधान उपलघ हैं वहां भी असाधारण परिस्थितियों में एवं उपयुक्त प्रकरणों अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मण्डल द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किया है अतः ऐसे प्रकरण जहां सामुदायिक व लोकहित का हनन हो रहा हो वहां इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना व्यापक न्यायहित में है।

सत्य-प्रतिलिपि

रजिस्ट्रार
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARE BY

1. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4989/1998/जोधपुर
2. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4378/1999/जोधपुर
3. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3420/2000/जोधपुर
4. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3668/2000/जोधपुर

16. अधिनियम की धारा 9 में प्रदत्त क्षेत्राधिकार के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य (आर.आर.डी. 1993 पृष्ठ 598) में यह अभिनिर्णीत किया है कि उपर्युक्त प्रकरणों में जहां व्यापक न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो वहां राजस्व मण्डल अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकता है। मानीनय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया है :-

In that case also the High Court took the view that it is not correct to say that section 9 is limited to the execute control and superintendence of the Board over subordinate revenue courts and its does not apply to judicial proceedings. The contention on behalf of the appellant to the effect was negative but on merits the High Court held that it was not appropriate for the Board to exercise the powers conferred by Section 9 of the Land Revenue Act in view of the fact that the Board had appellate jurisdiction and it could not, therefore, make use of its powers of superintendence and control and the order of the Board could not be held proper with reference to Section 9 of the Land Revenue Act. This case has no application for interpretation of the present Section 221 of the Act of 1955. Section 221 of the Act of 1955 is not subject to the other provisions of the Act. It is both administrative as well as judicial powers. It is open to the Board to exercise its powers of superintendence on all its subordinate courts in order to regulate the functioning of the subordinate courts so as to keep them within their respective spheres of jurisdiction. If the subordinate courts disregards any specific provisions of law and does something illegal it is open to the Board of Revenue to interfere and set the matter right. A similar question arose before the Rajasthan High Court in Kana and others V. Board of Revenue Rajasthan; ILR (1955) 5 (Raj.) 55 where the High Court had to construe the power of the Board of Revenue, Rajasthan, conferred on its by the Rajasthan Board of Revenue Ordinance (No. XXII of 1949). There also there was similar provision like Section 9 of the Land Revenue Act and it was held that Section 12 of the said Ordinance must be held to give powers to the Board to revise judicial orders also passed by courts in appropriate cases. It was observed at page 63 of the report- "of course , such powers would generally not be exercised where a party had remedy by way of appeal and revision, and did not avail of it.

राजस्व प्रतिनिधि
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARE BY

1. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4989/1998/जोधपुर
2. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4378/1999/जोधपुर
3. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3420/2000/जोधपुर
4. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3668/2000/जोधपुर

At the same time, the power is there, and it may be exercised sparingly in extraordinary cases where interest of justice requires that the Board should exercise the power.

17. इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्टतः अभिनिर्णीत किया है कि सामान्य अधीक्षण की शक्तियों के अंतर्गत राजस्व मण्डल अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निष्पादित न्यायिक कार्यवाहियों पर भी अधीक्षण रखता है तथा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के निर्णयों का विधिक परीक्षण भी असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है। इस प्रकरण की परिस्थितियों में परीक्षण न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि पर बिना आवेदकों के स्वामित्व व कब्जे का परीक्षण किये विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर भूमि रूपान्तरण आदेश पारित किये गये हैं। ये सभी प्रकरण अधिनियम की धारा 9 के क्षेत्राधिकार के प्रयोग करने के लिए उपयुक्ततम हैं। अतः प्रकरणों की असाधारण व विशिष्ठ परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना व्यापक न्यायहित में है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत इन प्रकरणों का विधिक परीक्षण करना विधि अनुकूल है।

18. विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा इन प्रकरणों में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया हैं कि इन भूमि रूपान्तरण के प्रकरणों में संलिप्त कृषि भूमि राजकीय भूमि थी तथा जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 3/3/78 को ही इन भूमियों को तत्कालीन नगर सुधार न्यास (वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण) को आबादी विस्तार हेतु दे दिया गया था। नगर सुधार प्रन्यास एक स्वायतशाषी स्थानीय निकाय है, जो स्थानीय आम जनता की आवास संबंधी ढांचागत सुविधाओं को सृजित करने के लिये राज्य शासन के विशेष अधिनियम से सृजित की गई है। जब जिला कलेक्टर द्वारा वर्ष 1978 में ही प्रश्नगत प्रकरणों में संलिप्त राजकीय भूमि को नगर सुधार न्यास को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर दिया गया था तो निश्चित ही प्राधिकृत अधिकारी इन भूमियों पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी निजी समिति को भूमि रूपान्तरित कर पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता था। यह न्यायालय उपरोक्त विवेचन के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित रूपान्तरण आदेशों को पारित करने में क्षेत्राधिकार का अभाव होने के कारण स्पष्टतया विधि विरूद्ध पाता हैं।

COMPARE BY

1. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4989/1998/जोधपुर
2. प्रार्थना पत्र/एल.आर./4378/1999/जोधपुर
3. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3420/2000/जोधपुर
4. प्रार्थना पत्र/एल.आर./3668/2000/जोधपुर

19. यह एक गंभीर स्थिति है जहां प्राधिकृत अधिकारी जो कि एक लोकसेवक है, उसके द्वारा कतिपय व्यक्तियों को अनाधिकृत एवं अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये ऐसी भूमि पर रुपान्तरण आदेश पारित किये है, जो न तो आवेदकों के स्वामित्व की है एवं न ही ऐसी भूमि पर उनका पुराना कब्जा है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई यह सम्पूर्ण कार्यवाही न्यायिक अनौचित्य (Judicial Impropriety) की श्रेणी में आती है तथा एक पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में संलिप्त कृषि भूमि के स्वत्व व कब्जे आदि की जानकारी के बिना इस प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये था।

20. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन पत्रों को एतद स्वीकार करता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित रुपान्तरण आदेश दिनांक 17/1/90 को अपास्त किया जाता है तथा इन आदेशों की अनुपालना में जारी पट्टे भी निरस्त किये जाते हैं। प्रश्नगत भूमि नगर सुधार न्यास में निहित है अतः इन पर पट्टे आदि जारी करने की संपूर्ण कार्यवाही केवल जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही विधिक प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.2011

(बजरंग लाल शर्मा)
सदस्य

COMPARE BY